

न्यायादालत उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• हंसराज पुत्र कल्याण, जाति जाट, उम्र लगभग 50 साल निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील अराई जिला अजमेर राज।

-वादी

बनाम

• बच्छराज पुत्र कल्याण, जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डोती, तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य

-प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 53,188 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 77/2023

ऑनलाइन नंबर 2023 /

वकील वादी:- योगेश शर्मा

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22/12/23	<p>यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा सिंह ने अन्तर्गत धारा 53,188 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 19/1/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी अराई</p>	
23/1/24	<p>पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारण उप. / ... हेतु समय चाह/वास्तु... पत्रावली दिनांक 07/3/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी अराई</p>	
07/3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित। P.O. साहय चुनाव कार्य/राजकार्य/दौर/अवकाश पर पत्रारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..... दिनांक 09/4/24 को पेश हो।</p>	
19/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित। P.O. ... पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..... दिनांक 07/4/24 को पेश हो।</p>	

10/12/2018

व्याज दर 8% और अंतर्गत
अनुदान सिद्ध है अंतर्गत अनुदान
यदि अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत
अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत

अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत
अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत

अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत
अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत

अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत